स्पष्टीकरण की मांग की गई है। उनके द्वारा दिनांक 26.05.2020 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा है कि वे नियमित रूप से प्रवेक्षक "आँगनबाड़ी सेविका" के समक्ष अनाज का वितरण किया गया है। उन कार्डधारियों ने लिखित स्वीकार किया है कि गलतफहमी में उनके द्वारा अपीलकर्त्ता पर आरोप लगाया था, उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

उन्होंने आगे कहा है कि Trade Articles (Licenses unification) Order 1984 के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी Licensing Authority नहीं है। Licensing Authority को ही अनुज्ञप्ति रद्द करने या निलंबित करने का शक्ति प्रदत्त है। ऐसी स्थिति में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति को रद्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका के कार्यालय से प्राप्त संचिका में उपलब्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि–

"जांच के क्रम में श्री पशुपति साह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध कार्डधारी श्रीमती कमली देवी, जिसका पी.एच. एच. राशन कार्ड संख्या– 202003214851, श्री संतोश कुमार शर्मा राशन कार्ड संख्या– 202003214780, श्री रामचन्द्र मिस्त्री राशन कार्ड संख्या– 202007093998, मालती देवी राशन कार्ड संख्या– 202007093997, सीताराम मिस्त्री राशन कार्ड संख्या– 202006943588, पुरन मिस्त्री राशन कार्ड संख्या– 202003214774, शिवानी देवी राशन कार्ड संख्या– 202003214781 एवं चण्डी देवी पी.एच.एच. राशन कार्डधारी के द्वारा बताया गया कि विक्रेता पशुपतिनाथ साह के द्वारा उन्हें प्रति कार्ड 02 से 05 किलोग्राम चावल का कटौती कर आपूर्ति

किया गया है, कुल 07 (सात) कार्डधारियों के द्वारा दर्ज कराये गये ब्यान की प्रति भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्न का वितरण आँगनबाड़ी सेविका के देखरेख में किया गया है। जिन कार्डधारियों के आरोप का जिक्र है, उन कार्डधारियों ने लिखित स्वीकार किया है कि गलतफहमी में उनके द्वारा आरोप लगाया गया था।

उल्लेखित कार्डधारियों ने इस न्यायालय में शपथ पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन दाखिल किया गया है। शपथ पत्र में इस बात का उल्लेख है कि वे दूसरे के बहकावे एवं लालच में आकर शिकायत की थी, जो गलत था। उन्हें अपीलकर्त्ता जनवितरण प्रणाली विक्रेता दूकान से किसी प्रकार का शिकायत नहीं है। किन्तु शपथ पत्र में दिये गये ब्यान एवं जांच के क्रम में दिये गये ब्यान में उन सात कार्डधारियों का ब्यान विरोधाभाष है।

आवेदक का कथन है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी Licensing Authority नहीं है Trade Articles (Licenses unification) Order 1984 के अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी Licensing Authority है। Licensing Authority को ही अनुज्ञप्ति के रद्द एवं निलंबित करने में सक्षम है किन्तु झारखण्ड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अधिसूचना "झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2019" के अनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी उचित मूल्य दूकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुज्ञापन पदाधिकारी हैं। अधिसूचना के अनुसार नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को लागू करने के साथ–साथ जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/स्वीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त्तों, कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति निलबित

करने एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने की शक्ति अनुज्ञपान पदाधिकारी में निहित रहेंगें।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा कार्डधारियों के बीच अनाज वितरण में निर्धारित मात्रा से कम अनाज दिये जाने के कारण जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है जो सही प्रतीत होता है। इसपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी का आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका। 04/12/2020

उपायुक्त
दुमका। 04/12/2020

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील सं0– 02/2020–21

पशुपति साह ..... अपीलकर्ता

बनाम्

राज्य सरकार .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

04/12/2020 यह रे0मि0 (जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति रद्द) अपील वाद पशुपति साह, मुहल्ला– रसिकपुर, वार्ड नं0– 03, नगर परिषद, दुमका, थाना– दुमका बनाम् झारखंड सरकार के बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 661/जि0आ0 दिनांक 03.07.2020 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात एवं अपीलकर्त्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता वर्ष 1987 से जनवितरण प्रणाली विक्रेता का अनुज्ञप्ति सक्षम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या– 19/1987 से प्राप्त करने के पश्चात से नियमित एवं सुचारू रूप से राशन का वितरण करते आ रहें है, उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं रहा है। कुछ लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका से मिलकर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करवाया कि 07 (सात) कार्डधारियों को 02 से 05 किलोग्राम चावल कम दिया गया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता से बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किये ही उनके अनुज्ञप्ति को आदेश दिनांक 18.05.2020 को निलंबित कर दिया गया एवं ज्ञापांक 508/जि0आ0 दिनांक 18.05.2020 द्वारा अपीलकर्त्ता से